भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

Entry 148

(93)

# समक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्किट बेच भोपाल म.प्र.

निगरानी/रायसेन/भू०रा०/2017/3189

पुनरीक्षण कमांक ........./17

मोईज हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन
निवासी–मेसर्स हकीम सेवरन कार्पोशन
शाप नं. 21 जोन–2,
एम.पी. नगर भोपाल म.प्र.

........पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. मेसर्स दीपम रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक कुमार कपूर
पुत्र स्व. के.सी. कपूर आयु वयस्क,
निवासी– 17, भूतल ब्लाक के 20 ग्रीनसिटी ई–8
अरेरा कालोनी भोपाल म.प्र.
2. मध्यप्रदेश शासन
द्वारा श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय
मण्डल सांची तहसील व जिला रायसेन म.प्र. .......... उत्तरदाता

## पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1954

माननीय महोदयगण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्नानुसार निवेदन है कि :–

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण कमांक 21/ए–12/2015–16 में प्रस्तुत प्रतिवदेन के आधार पर दिनांक 21.12.2016 प्रतिवदेन पर स्वीकृति आदेश से परिवेदित होकर माननीय राजस्व मंडल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका श्रवण के क्षेत्राधिकार होने से मय विलम्ब क्षमा प्रार्थना के प्रस्तुत है।

## प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1/उत्तरदाता द्वारा उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम अगरिया चोपड़ा तहसील रायसेन जिसका खसरा कमांक 15/2/1/1, रकबा 0.790 हेक्टयर एवं खसरा कमांक 15/2/1/2 रकबा

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - रायसेन

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू-रा./2017/3189

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29-8-2019 | प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, साँची तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, साँची तहसील व जिला रायसेन न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, रायसेन को भेजा जाता है।<br>कलेक्टर, रायसेन प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ।<br>अध्यक्ष | |